सातवीं वार्षिक आम सभा की सूचना

Notice for Seventh Annual General Meeting

मंगलवार, 28 जून, 2016 पूर्वाह्न 10.00 बजे
Tuesday, June 28, 2016, 10.00 A.M.

सभास्थल / at

भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडियर रोड
अलिपुर, कोलकाता - 700 027
Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road,
Alipore, Kolkata - 700 027

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
UNITED BANK OF INDIA
प्रधान कार्यालय: युनाइटेड टॉवर
HEAD OFFICE: UNITED TOWER
11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700 001
11, HEMANTA BASU SARANI, KOLKATA – 700001

सामग्री

पृष्ठ संख्या

नोटिस 1

टिप्पणियाँ 3

व्याख्यात्मक विवरण 5

CONTENTS

Page No.

Notice 10

Notes 13

Explanatory Statement 19

सूचना

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की सातवीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 28 जून, 2016 को पूर्वाह्न 10.00 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडियर रोड, कोलकाता 700027 में, निम्नलिखित व्यवसाय चलाने हेतु आयोजित की जाएगी :

1. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते का अनुमोदन और अंगीकार करना, खाते और तुलनपत्र पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट और खाते में शामिल उक्त अवधि के लिए निदेशक मंडल द्वार प्रस्तुत बैंक के कार्य और क्रियाकलाप की रिपोर्ट की चर्चा करना

2. किसी प्रकार के संशोधन अथवा बगैर संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में, अगर उचित समझा जाए, तो विचार करना और पारित करना

"संकल्प किया गया कि बैंकिंग कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन एंव अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010, संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (जारी पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम, 2009), विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधान, विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा अंतरण अथवा जारी प्रतिभूति) विनियम, 2000, (इसके संबंध में फिलहाल के लिए प्रयोज्य किसी प्रकार के सांविधिक संशोधन अथवा आशोधन अथवा पुर्नप्रवर्तन समेत) और सेबी (सूचीकरण आवश्यकताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीकरण विनियम) तथा न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारण को प्राप्त करने के संबंध में सेबी परिपत्र सं.सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/14/2015 दिनांक 30.11.2015 के शर्तांधीन, भारत सरकार (जीओआई) के अनुमोदन, भारतीय प्रतिभूति बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, और अन्य सभी समुचित सांविधिक, सरकारी, और अन्य प्राधिकारियों तथा इसके संबंध में प्रयोज्य विभागों और अन्य अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी, जैसा आवश्यक है, बैंक के सदस्यों के अनुमोदन के शर्ताधीन और जैसा उक्त में से किसी के भी द्वारा उक्त अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी स्वीकृत करते समय निर्धारित अथवा लागू शर्तें और संशोधन और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल (इसके आगे इसे बोर्ड के रूप में संदर्भित किया गया जिसे बोर्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हेतु एक प्राधिकृत समिति अथवा कार्यपालक) सहमत हो, एतद्द्वारा एक अथवा अधिक खेपों में के अध्याय VIII के प्रावधानों के अनुसरण में अथवा सेबी आईसीडीआर विनियम 2009 के अनुसार सार्वजनिक निर्गम, राइट इश्यू के द्वारा अथवा सेबी परिपत्र सं. सीआईआर / सीएफडी / सीएमडी/14/2015 दिनांक 30.11.2015 के तहत उल्लिखित जारी निर्गमो के अन्य रूप में एक प्लेसमेंट दस्तावेज और/अथवा कोई अन्य दस्तावेज/लेख/परिपत्र/ज्ञापन इस प्रकार और इस तरह की कीमत तथा इस शर्तों पर, जैसा समुचित समय में बोर्ड द्वारा निर्धारित, उक्त इश्यू के संबंध में और बोर्ड/समिति/प्राधिकृत कार्यपालकों द्वारा स्थिर की गई ऐसी शर्तें, बैंक द्वारा नियुक्त और/अथवा नियुक्त किए जाने वाले मर्चेंट बैंकरों के परामर्श से, और यह कि बोर्ड/समिति/प्राधिकृत कार्यपालकों द्वारा इसके संबंध में निर्धारित किए गए के अनुसार जैसा कि अपने विवेक के अनुसार समुचित समझा जाए, क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के तहत क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबीएस) इक्विटी शेयर सृजित, ऑफर, जारी करने के लिए कुल राशि रु1000 करोड़ तक प्रत्येक रु10/- के अंकित मूल्य के लिए शेयरधारकों की सहमति ली गई।"

"पुनः संकल्प किया गया कि निदेशक मंडल एतद्द्वारा जहां आवश्यक हो अग्रणी प्रबंधकों और/अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य सलाहकारों अथवा अन्य से परामर्श करके, निर्गम की शर्तें, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक के अनुसार उक्त कानून, नियम, विनियम, सेबी आईसीडीआर विनियम 2009, समेत, दिशा निर्देश, अधिसूचना, और प्रयोज्य निर्देशों से परामर्श करके निर्गम का मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है ।"

"पुनः संकल्प किया गया कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसरण में क्वालिफाइड इंस्टिट्यनल प्लेसमेंट के मामले में

क. सेबी आईसीडीआर विनियम, 2009 के अध्याय VIII के अनुसरण में क्वालिफाइड इंस्टिट्यूनल बायर्स को प्रतिभूतियों का आवंटन होगा, उक्त प्रतिभूतियां पूर्ण रूप से प्रदत्त होगी और उक्त प्रतिभूतियों का आवंटन इस संकल्प की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा किया जाएगा ।

ख. उक्त सेबी आईसीडीआर विनियम, 2009 के विनियम 85(1) के प्रावधान के अनुसरण में शेयरों को उपर्युक्त सेबी आईसीडीआर विनियम, 2009 के अनुसरण में निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर 5% तक बट्टे में प्रस्ताव करने के लिए बैंक प्राधिकृत है

ग. प्रतिभूतियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारण के लिए सगंत तारीख सेबी आईसीडीआर विनियम, 2009 के अनुसार किया जाएगा ।"

"संकल्प किया गया कि, निदेशक मंडल एतद्द्वारा किसी प्रस्ताव में किसी प्रकार के संशोधन को स्वीकार करने के लिए जैसे कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड /स्टॉक एक्सचेंज, अथवा ऐसे समुचित प्राधिकारी अपने अनुमोदन, सहमति, अनुमति और उक्त निर्गम के लिए स्वीकृति, आवंटन और सूचीकरण के लिए और बोर्ड की सहमति से प्राधिकृत होगा ।"

"पुनः संकल्प किया गया कि, एनआरआई, एफआईआई और/अथवा अन्य योग्य विदशी निवेशकों, जैसे प्रयोज्य, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत आरबीआई के अनुमोदन के शर्ताधीन और उक्त अधिनियम के अंतर्गत समग्र सीमा के भीतर नए इक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयर/प्रतिभूतियां, यदि हो, का निर्गम और आवंटन होगा ।"

"पुनः संकल्प किया गया कि, जारी किए जाने वाले नए इक्विटी शेयर संशोधित युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 के शर्ताधीन होगा और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ लाभांश समेत सभी संबंध में समरूप के लिए योग्य होगा जो कि उक्त घोषणा के समय प्रयोज्य सांविधिक दिशानिर्देश के अनुसार होगा ।"

"पुनः संकल्प किया गया कि, बोर्ड को एतद्द्वारा अग्रणी प्रबंधकों, बैंकर्स, हामीदारों, डिपाजिटॅरी, और सभी एजेंसी जो उक्त इक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल हैं, सभी व्यवस्था, करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि करने और उक्त सभी संस्थानों और एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकेरेज, शुल्क अथवा अन्य के द्वारा पारिश्रमिक देने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।"

"पुनः संकल्प किया गया कि, इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों और/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके अथवा बिना परामर्श से, निर्गम की शर्तें, निवेशक वर्ग समेत जिन्हें शेयर/प्रतिभूतियां जिसे प्रत्येक चरण में आवंटित किया जाना है, निर्गम मूल्य (प्रीमियम समेत, अगर है, तो) अंकित मूल्य, निर्गम/रुपांतरण/ वारंट का प्रयोग/प्रतिभूतियों का विमोचन, ब्याज दर, विमोचन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयरों की संख्या अथवा रुपांतरण अथवा विमोचन अथवा प्रतिभूतियों के रद्द करने, मूल्य, निर्गम पर बट्टा अथवा प्रीमियम/प्रतिभूतियों का रुपांतरण, ब्याजदर, रुपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख का निर्धारण अथवा खाता बंदी और संबंधित अथवा अनुषंगी विषय, भारत में और/अथवा विदेश में एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध अथवा किसी निर्गम के प्रयोज्य कानून, नियम एवं विनियम के तहत अनुमत असूचीबद्ध शेयरों/प्रतिभूतियों का निपटान करने के लिए बोर्ड जो उचित समझेगा, उसके लिए प्राधिकार होगा ।"

"पुनः संकल्प किया गया कि, इक्विटी शेयर/अधिमान्य शेयर/प्रतिभूतियों के आवंटन अथवा किसी निर्गम को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्द्वारा अपने पूर्णविवेक से सार्वजनिक प्रस्ताव समेत निवेशक वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित किया जाना है, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जानेवाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, प्रीमियम राशि और सभी कार्य, उक्त कार्य को करने के लिए अपेक्षित वस्तु, दस्तावेज और करार, बोर्ड अपने पूर्णविवेक से, जैसा उचित, सटीक और उपयुक्त समझे और किसी प्रश्न के उत्तर के लिए निदेश अथवा अनुदेश देने, सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा और संदेह उत्पन्न होने के मामले में, निर्गम, निर्गम प्राप्तियों के प्रयोग एवं आवंटन, उक्त संशोधन को प्रभावी बनाने एवं स्वीकार करने, शर्तों के संबंध में परिवर्तन, संशोधन, जोड़ने घटाने, बोर्ड अपने पूर्णविवेक से जैसा उचित और सटीक समझे, बैंक के पूर्ण हित में, सदस्यों के पुनः अनुमोदन अथवा प्राधिकार के बगैर, कि शेयरधारकों द्वारा उक्त संबंध में दिए गए अनुमोदन और संकल्प के प्राधिकार के अनुसार, और बैंक को दी गई किसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करते हुए निदेशक मंडल द्वारा उक्त संकल्प के संदर्भ में प्राधिकृत किया गया है।"

"पुनः संकल्प किया गया कि, बोर्ड को एतद्द्वारा एक विधिवत गठित समिति या प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक या कार्यपालक निदेशकगण उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सौंपी गई किसी प्रकार अथवा सभी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया ।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
ह/
बिक्रमजीत सोम
कंपनी सचिव

दिनांक: 17.05.2016
स्थान: कोलकाता

टिप्पणियां:

1. प्रतिनिधि की नियुक्ति

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 62 के अनुसार एक शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने का हकदार है एवं अपने बदले उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी उसे हक है, तथा ऐसे प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 62(ii) के अनुसार प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रखने के लिए उसे बैंक के **शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, हेमन्त बसु सरणी, चौथा तल, कोलकाता**-700001 में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् 23 **जून**, 2016, **वृहस्पतिवार** को कारोबार समय की समाप्ति से पहले तक अवश्य प्राप्त होना चाहिए ।

उस प्रकार से नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा ।

बैंक के पास जमा किया गया प्रतिनिधि प्रपत्र अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगा ।

यदि प्रतिनिधि प्रपत्र वैकल्पिक रुप से दो अनुदानग्राहियों के पक्ष में मंजूर किया जाता है तो इसके लिए एक ही फार्म तैयार किया जाएगा ।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 62(VI) के अनुसार प्रतिनिधि के लिखत के अनुदानदाता को बैठक में व्यक्तिगत रुप में वोट देने का हक नहीं होगा जो उस लिखत से संबंधित है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त नहीं हो सकेगा ।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 61 के अनुसार यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी शेयरधारक संकल्प द्वारा अपने किसी प्राधिकारी को अथवा किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि प्राधिकृत करता है तो वह प्राधिकृत व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार या कंपनी की ओर से उसी अधिकारी का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधि है, मानों यदि वह बैंक का वैयक्तिक शेयरधारक हो ।

उक्त प्रकार से दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रुप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा उस स्थिति में उनमें से कोई एक व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में कार्य कर सकता है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 61(ii) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में तब तक भाग नहीं लेगा अथवा वोट नहीं देगा जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त करने के संकल्प की एक सही प्रतिलिपि उस बैठक, जिसमें वह पारित किया गया था, के अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रमाणित करके बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, चौथा तल, 11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता-700001 में 23 जून, 2016, वृहस्पतिवार को कारोबार अवधि की समाप्ति अथवा उससे चार दिन पहले जमा न की गई हो ।

3. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु वार्षिक रिपोर्ट में उपस्थित पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न है । शेयर धारकों/प्रतिनिधि धारक/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि इसे भरें तथा हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करके बैठक के स्थान पर इसे सौंप दें । शेयरधारकों के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने उपस्थिति सह प्रवेश पत्र पर प्रतिनिधि अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए ।

4. शेयरधारकों के रजिस्टर को बंद करना

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2010 के विनियम 12 के अनुसार शेयरधारकों के रजिस्टर और बैंक के अंतरण बही को

वार्षिक आम बैठक के संबंध में सोमवार, 20 जून, 2016 से मंगलवार, 28 जून, 2016 तक (दोनों दिनों समेत) बंद रखा जाएगा ।

5. शेयरधारकों से अनुरोध

5.1. तुलन पत्र की प्रतियां
शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी अत: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उनके पंजीकृत पतों पर भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां साथ लाएं ।

5.2. शेयरों का अमूर्तिकरण
जो शेयरधारक अपने शेयरों को प्रत्यक्ष रुप से धारित किए हुए हैं, उनसे उनके शेयरों को अमूर्तिकरण करने का अनुरोध किया जाता है ।

5.3. खातों की जानकारी
अपने खातों के संबंध में जानकारी/स्पष्टीकरण मांगने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक से कम से कम 4 दिन पहले बैंक को लिखें ताकि बैंक उनकी जानकारियों को तैयार रख सके ।

5.4. फोलियों का समेकन
जो शेयरधारक नामों के समान क्रम में एक जैसे नामों या संयुक्त नाम में बहु फोलियो में प्रत्यक्ष रुप में शेयरों को धारित किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि अपने शेयर प्रमाणपत्रों को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि., को एक फोलियो में समेकन के लिए भेजें ।

5.5. पतों के परिवर्तन को अधिसूचित करना
शेयरधारकों को उनके पते या बैंक खाते के विवरण में हुए किसी परिवर्तन से निम्नलिखित को अधिसूचित करने का अनुरोध किया जाता है

क. इलेक्ट्रानिक रुप में धारित किए गए शेयरों के संबंध में संबंधित डिपॉजिटरी सहभागियों को;

ख. प्रत्यक्ष रुप में धारित किए गए शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर

लिंक इनटाइम इंडिया (प्रा) लि.
(इकाई: युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया)
59सी, चौरंगी रोड, 3रा तल
कोलकाता 700020

5.6. स्थिति के परिवर्तन की रिकार्डिंग
गैर निवासी शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित में परिवर्तन होने से रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि., को तत्काल सूचित करें

क. भारत वापस आनेपर उनकी आवासीय स्थिति

ख. भारत में बैंक खाता का विवरण पूरा नाम, शाखा, खाते का प्रकार, खाता सं., एमआईसीआर कोड, आईएफसी कोड, बैंक का पता एवं पिन, के साथ, यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया हो

6. अमूर्तिकरण (डीमैट) रुप में बैंक के शेयरों का अनिवार्य व्यापार

बैंक के शेयरों का आवंटन और खरीद अनिवार्यत: शेयर बाजार में केवल अमूर्तिकरण रुप में ही किया जाएगा ।

बैंक ने अपने शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रुप में नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी

सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीएसडीएल) के साथ एक करार किया है ।

अमूर्तिकरण के लिए अनुरोध संबंधित डिपॉजिटरी सहभागियों के जरिए बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट अर्थात मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. को भेजा जा सकता है ।

7. अदावी शेयर

अदावी शेयरों का विवरण निम्नलिखित है:

01.04.15 तक	वर्ष के दौरान बाध्य किये गये शेयर	31.03.2016 तक अंतत खाते में शेष राशि
6407	शून्य	6407

अदावी/बकाया शेयरों के संबंध में मदतान अधिकार कानूनी हकदारों द्वारा दावा किये जाने तक अवरुद्ध रहेंगे ।

बैंक ने शेयरधारकों के सुलभ संदर्भ हेतु अदावी शेयरों का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है ।

8. शेयरधारकों की पूछताछ

यह सराहनीय होगा कि यदि शेयरधारक अपने किसी भी प्रश्न, यदि कोई हो तो, को पर्याप्त समय रहते भेज दें, तो बैंक को इसका प्रभावी उत्तर देने में सुविधा होगी । पूछताछ निम्नलिखित पते पर की जा सकती है-

शेयर विभाग व निवेशक शिकायत कक्ष,
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
प्रधान कार्यालय,
11, हेमन्त बसु सरणी,
कोलकाता-700001
अथवा ई-मेल:investors@unitedbank.co.in

9. मताधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को छोड़कर कोई शेयरधारक बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10% से अधिक के अपने किसी भी शेयर के संबंध में मत देने का हकदार नहीं होगा ।

10. ई-मतदान

सेबी सूचीकरण विनियम के विनियमन 44 के अनुसार दिनांक 17 मई, 2016 को बैंक की सातवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के अनुसार बैंक ने पहली बार अपने सभी शेयरधारकों के लिए सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रुप से मतदान करने के लिए सूचीबद्धता करार के खण्ड 35बी के अनुसार ईमतदान की सुविधा प्रदान की है । बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमाणियन एवं कंपनी., सेवारत कंपनी सचिव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए नियुक्त किया है ।

ई-मतदान वैकल्पिक है। ई-मतदान के अतिरिक्त शेयरधारकों को बैलट अथवा पोलिंग पेपर के माध्यम से बैठक के स्थान पर मदतान देने का विकल्प दिया जाएगा । जिन शेयरधारकों ने इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना मतदान किया है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन अपना मतदान करने के हकदार नहीं होंगे ।

शेयरधारकों/ लाभदायक स्वामी को उनके द्वारा मंगलवार, 21 जून, 2016 (निर्धारित तारीख) तक धारित इक्विटी शेयरों के संबंध में स्वीकार किया जाएगा ।

मतदान की अवधि शनिवार, 25 जून, 2016 को 10.00 बजे (आईएसटी) आरम्भ होकर सोमवार, 27 जून, 2016 को 17.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, जो शेयर भौतिक रुप में या डीमैट फॉर्म में रखे हो जिसकी निर्दिष्ट सीमा (रिकार्ड तारीख)

27 फरवरी, 2016 तक है, वे इलेक्ट्रानिक तरीके से अपने वोट डाल सकते हैं । ई-वोटिंग मॉड्यूल उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा ।

मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक ईमतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगइन करें ।

(i) शेयरहोल्डर्स टैब पर क्लिक करें ।

(ii) अब अपना यूजर आईडी दर्ज करें
 क. सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों का बेनिफीसरी आईडी
 ख. एनएसडीएल के लिए: 8 अंकों के क्लाईंट आईडी के बाद 8 अक्षर डीपी आईडी
 ग. भौतिक रुप में शेयर धारण किए हुए सदस्य बैंक द्वारा पंजीकृत फोलियो नं. दर्ज करें

(iii) अब प्रदर्शित हुए इमेज वेरीफिकेशन को दर्ज करें और लॉगइन पर क्लिक करें ।

यदि आप डीमैट के रुप में शेयर धारण करते हैं और www.evotingindia.com पर लॉगऑन किया था और इससे पहले किसी भी कंपनी की हाल ही के वोटिंग में मतदान किया है, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है ।

(iv) यदि आप प्रथम उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित निदेशों का पालन करें :

	डीमैट रुप में एवं भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए अपने 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक पैन की प्रविष्टि करें (डीमैट शेयरधारकों के साथ-साथ प्रत्यक्षधारित शेयरधारकों, दोनों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने बैंक/डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले दो अक्षरों का उपयोग करें और पैन फिल्ड में 8 अंकों के क्रमानुसार संख्या का उपयोग करें । • क्रमानुसार संख्या के 8 अंकों से कम होने के मामले में 0 के लागू नम्बर को संख्या के पहले बड़े अक्षरों में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद दर्ज करें। अर्थात यदि आपका नाम क्रम संख्या 1 के साथ रमेश कुमार है तो पैन फिल्ड में आरए00000001 प्रविष्ट करें ।
जन्म तिथि	आपके डीमैट खाते में किए गए रिकॉर्ड या उक्त डीमैट खाते के लिए बैंक रिकॉर्ड के अनुसार जन्मतिथि या फोलियो संख्या दिन/माह/वर्ष की प्रविष्टि करें ।
लाभांश बैंक विवरण	आपके डीमैट खाते में किए गए रिकॉर्ड या उक्त डीमैट खाते के लिए बैंक रिकॉर्ड के अनुसार लाभांश बैंक विवरण या फोलियो की प्रविष्टि करें । • लॉगिन करने के लिए जन्मतिथि या लाभांश बैंक विवरण की प्रविष्टि करें। यदि विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के साथ रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, कृपया अपनी सदस्यता आईडी/फोलियो सं. दिशानिर्देश (ii) के अनुसार लाभांश बैंक विवरण फिल्ड में प्रविष्टि करें ।

(v) उचित रुप से इन ब्योरों को भरने के बाद **"सबमिट"** टैब पर क्लिक करें ।

(vi) इसके बाद, भौतिक रुप से शेयर रखने वाले सदस्य सीधे कंपनी चयनित स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अब पासवर्ड क्रियेसन मेन्यु तक पहुंच जाएंगें जिसमें उन्हें अनिवार्य रुप में नया पासवर्ड क्षेत्र में अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्टि करने की आवश्यकता होगी । कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड से डीमैट धारक मतदान करने के पात्र हैं जिस पर किसी भी अन्य कंपनी का संकल्प(ओं) के लिए मतदान के लिए प्रयोग किया जाता है बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ईमतदान के विकल्प प्रदान करता हो। यह दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने पासवर्ड को हिस्सेदारी नहीं करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत देखभाल करें ।

(vii) भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस सूचना में शामिल संकल्पों पर ईमतदान के लिए किया जा सकता है ।

(viii) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिसे आप वोट करने के लिए चुनते हैं ।

(ix) मतदान पृष्ठ पर, आप "रिजोल्यूसन विवरण" देखेंगे और उसी के एवज में मतदान के लिए " हाँ / नहीं " विकल्प होगा। विकल्प हाँ या नहीं का चयन करें। विकल्प हाँ रिजोल्यूसन पर आप की सहमति का तात्पर्य है कि और विकल्प नहीं रिजोल्यूसन पर आप की असहमति का तात्पर्य है ।

(x) यदि आप पूरे रिजोल्यूसन ब्योरा देखना चाहते हैं तो " रिजोल्यूसन फ़ाइल लिंक " पर क्लिक करें।

(xi) रिजोल्यूसन चयन करने के बाद, आप वोट करने का फैसला किया है, " सबमिट " पर क्लिक करें। एक संपुष्टि बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो " ओके " पर क्लिक करें और अपने वोट को बदलने के लिए, " कैंसल " पर क्लिक करें और उसके अनुसार अपने वोट को संशोधित करें ।

(xii) रिजोल्यूसन पर एक बार आप अपना वोट " कॉनर्फम " कर देते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xiii)वोटिंग पृष्ठ को " क्लिक हियर टू प्रिंट " विकल्प पर क्लिक करके, आप द्वारा किया गया मतदान का प्रिंट आउट आप ले सकते हैं ।

(xiv)यदि डीमैट खाताधारक पासवर्ड भूल गए हो तो वे यूजर आईडी दर्ज करें और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और फोर्गेट पासवर्ड पर क्लिक करें एवं प्रणाली द्वारा प्रेरित विवरण दर्ज करें।

(xv) संस्थागत शेयरधारकों के लिए नोट

संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) https://www.evotingindia.com पर लॉगऑन करें और कॉर्पोरेट के रूप में खुद को पंजीकृत करें।

इकाई द्वारा अपनी मोहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल किया जाना चाहिए।

लॉगइन ब्योरा प्राप्त होने के बाद वे प्रशासनिक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाएंगे । कंप्लायंस उपयोगकर्ता से खाता (ओं) को लिंक सक्षम हो जाएगा , जिसपर वे वोट देना चाहते हैं ।

खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com मेल पर भेज दिया जाएगा और खातों के अनुमोदन पर वे अपने वोट देने में सक्षम हो जाएंगे।

अभिरक्षक के पक्ष में जारी किए गए को बोर्ड संकल्प और पॉवर अटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो तो इसे प्रणाली में सत्यापित करने के लिए पीडीएफ प्रारुप में अपलोड किया जाना चाहिए ।

यदि आपको ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या मुद्दा हो तो आप सामान्यतः पूछे जाने वाले सवाल ("एफ ए क्यू") पर और ई-वोटिंग मैनुअल www.evotingindia.com के हेल्पडेस्क पर उपलब्ध है या इसे प्राप्त करने के लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें।

11. एजीएम स्थान पर वोटिंग प्रक्रिया

कार्यसूची के मद पर मतदान, रिमोट ई-मतदान के साथसाथ बैठक स्थल में मतदान द्वारा किया जाएगा। जिन्होंने ई-मतदान विकल्प का प्रयोग नहीं किया

वे बैठक की तारीख को एजीएम के स्थान पर परिचालित किए जानेवाले मतदान में मतदान देने के हकदार होंगे । बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त संबंध में उद्घोषणा करने के बाद तत्काल बैलट पेपर जारी किया जाएगा । शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उक्त स्थान पर मतदान पत्र जारी किए जाएंगे । निर्धारित तारीख तक अर्थात मंगलवार, 21 जून, 2016 तक उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के बराबर मतदान की संख्या होगी ।

12. ई-मतदान एवं मतदान का परिणाम

बैठक की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर ई-मतदान तथा बैठक स्थल पर किए गए मतदान का समेकित परिणाम घोषित किया जाएगा। इसे बैंक की वेबसाईट, सीडीएसएल में दिया जाएगा और जिस स्टॉक एक्सचेंज में बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उसे सूचित किया जाएगा ।

13. मतदान में संवीक्षक

बैठक में परिचालित किए जानेवाले मतदान में कार्यसूची की मदों के संबंध में मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं., कंपनी सचिवगण संवीक्षक के रुप में काम करेंगे ।

14. सभी तथ्यों को स्थापित करने हेतु व्याख्यात्मक विवरण

14.1 कार्य सूची मद संख्या - 2

क. बैंकिंग और संबंधित गतिविधियों के कारोबार में बैंक है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी रू 3000 करोड़ है। 31 मार्च 2016 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रू 839.52 करोड़ था, जिसमें केन्द्रीय सरकार को 23.24 करोड़ के शेयरों के अधिमान्य आवंटन स्वरुप 04 मई, 2016 को रु 1071.96 करोड़ तक वृद्धि हुई ।

ख. 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार बेसल-III के नियमों के तहत, बैंक को निम्नलिखित पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखना आवश्यक है

कोर इक्विटी	5.5%
पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)	0.625%
कुल टियर I	7.0%
कुल टियर I + सीसीबी	7.625%
कुल सीआरएआर	9.0%
कुल सीआरएआर सीसीबी	9.625%

ग) वर्तमान में, बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी रू 920.88 करोड़ है। यह बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी की 85.906% है। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार जोखिम भारित आस्तियां के लिए पूंजी निधि निम्नांकित था :

व्यौरा (31.03.16 को)	राशि रू करोड़ में	जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजी निधि की % (बेसल III के तहत)
जोखिम भारित आस्तियां	73079.45	
टियर I पूंजी	5796.92	7.93
टियर II पूंजी	1572.54	2.15
कुल पूंजी	7369.46	10.08

घ) आस्ति और देयता दोनों पक्षों पर बैंक अपना व्यवसाय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित कर रहा है ताकि 31.03.2017 तक रु200,000 करोड़ के कुल व्यवसाय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

ङ.) अनुमानित व्यापार के विकास के लिए और स्वस्थ सीआरएआर बनाए रखने के लिए बैंक को बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटाने की आवश्यकता हो सकती है।

च) संशोधित प्रतिभूति संविदा विनियम नियम 1957 के अनुसार, बैंक को अगस्त, 2017 तक कम से कम 25% सार्वजनिक शेयरधारिता (गैरप्रवर्तक शेयरधारिता) सुनिश्चित करनी है। वर्तमान में, बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता 14.094% है ।

छ) लक्ष्यित व्यवसाय वृद्धि के विस्तार और प्राप्ति के लिए अतिरिक्त पूंजी निधि आवश्यकता को पूरा करने हेतु और बैंक के सामान्य उधार उद्देश्यों के लिए विनियामक अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए जिसे ऐसी कीमत पर प्रत्येक रु 10/ के इक्विटी शेयर जारी करने के उद्देश्य से, जिसे अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव या अधिकार निर्गम या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, या ऐसे अन्य सुयोग्य माध्यमों के जरिए सेबी

आईसीडीआर विनियम, 2009 और सेबी परिपत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2015 के तहत इश्यू बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है ।

ज) क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा उपर्युक्त इक्विटी शेयर जारी करने के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाना है कि ;

i. सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VII के अनुसरण में इक्विटी शेयर के मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से संगत तारीख और/अथवा अन्य विनियम, जिसमें बोर्ड अथवा समिति इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम खोलने के लिए प्राधिकृत है, अध्याय 81(1ए) और अन्य प्रयोज्य प्रावधान के अनुसार सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने पर, उक्त अधिनियम और अन्य प्रयोज्य कानून, नियम, विनियम और इक्विटी शेयर के प्रस्तावित निर्गम के संबंध में दिशानिर्देश, अगर कोई हो तो, निर्धारित तारीख वही होगी ।

ii. चूंकि प्रस्ताव की कीमत ***बाद के*** चरण के अलावा निर्धारित नहीं किया जाएगा, जारी किए जानेवाले शेयरों की कीमत उल्लेख करना संभव नहीं है । तथापि, वह सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंक के (शेयर एवं बैठक) अधिनियम तथा समय-समय पर जारी किसी अन्य दिशानिर्देश/विनियम/सहमति, जैसा प्रयोज्य अथवा के प्रावधान के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

iii. पूर्ण प्रदत्त शेयरों का निर्गम एवं आवंटन सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसरण में केवल क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) को किया जाएगा और उपर्युक्त संकल्प पारित करने की तारीख से 12 माह के भीतर आवंटन का कार्य पूरा किया जाएगा

iv. उक्त प्रस्ताव के लिए विस्तृत शर्तें सलाहकार, अग्रणी प्रबंधक एवं हामीदारों और अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों जैसा अपेक्षित है, के साथ परामर्श करते हुए स्थिर किया जाएगा और मौजूदा बाजार व्यवस्था और अन्य विनियामक अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा ।

v. उक्त उपायों से जुटायी गई राशि समग्र आवंटन समेत प्रतिभूतियों के निर्गम से संबंधित शर्तें, अगर हैं, विगत वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार बैंक के निवल मालियत का 5 गुने से अधिक नहीं होगा ।

vi. प्रतिभूतियां आवंटित होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 द्वारा समय-समय पर अनुमत को छोड़कर, वह अंतरित/बिक्री के लिए योग्य नहीं होंगी ।

vi. आवंटित इक्विटी शेयर, लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर सभी दृष्टि से समरुप के लिए विवेचित किया जाएगा ।

पूर्वोक्त कारणों के चलते, इस मुद्दे के मामले को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार देने के लिए संकल्प पारित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रयोजन के लिए बैंक को एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। अतः, उपरोक्त प्रस्ताव पर आपकी सहमति हेतु निवेदन किया जाता है। नोटिस में उल्लेख संकल्प को पारित करने के लिए निदेशक मंडल सिफारिश करती है।

बैंक में उनकी हिस्सेदारी की सीमा के अलावा, बैंक के कोई भी निदेशक उपरोक्त संकल्प में रुचि नहीं रखते हैं या संबंधित नहीं है।

कृते युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
ह/
बिक्रमजीत सोम
कंपनी सचिव

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 17 मई , 2016

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 48 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, the Seventh Annual General Meeting of the shareholders of United Bank of India will be held on Tuesday, June 28th, 2016, at 10.00 A.M. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata – 700027 to transact the following business:-

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank as at and for the year ended 31st March 2016, the Report of the Board of Directors on the workings and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT, in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Banking Regulation Act, 1949, the United Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2010, Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations 2009) as amended, the Foreign Exchange Management Act, 1999 ("FEMA"), the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (including any statutory amendments thereto or modifications or re-enactments thereof for the time being in force) and the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, ("SEBI Listing Regulations") and SEBI Circular No.CIR/CFD/CMD/14/2015 dated 30.11.2015 on achievement of minimum public shareholding, and subject to the approvals of the Government of India ("GoI"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Reserve Bank of India ("RBI"), Stock Exchanges on which the Bank's shares are listed, and all other appropriate statutory, government and other authorities and departments as may be applicable in this regard, and such other approvals, consents, permissions and sanctions, as may be necessary and subject to approval of the members of the Bank, and subject to such conditions and modifications as may be prescribed or imposed by any of them while granting such approvals, consents, permissions and sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board" which term shall include a duly authorized Committee or Executives for the time being exercising the powers conferred by the Board), the consent of the shareholders be and is hereby accorded to create, offer, issue and allot Equity Shares of the face value of Rs.10/- each up to an aggregate amount not exceeding Rs.1000 crore in one or more tranches to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") under the Qualified Institutions Placement ("QIP"), in terms of the provisions of Chapter VIII of SEBI ICDR Regulations, 2009 or by way of Public Issue, Rights Issue in terms of SEBI ICDR Regulations 2009 or such other forms of capital issue(s) as mentioned under SEBI circular no.CIR/CFD/CMD/14/2015 dated 30.11.2015, through a placement document and/or such other documents/ writings/ circulars / memoranda in such manner, at such price and on such terms and conditions as may be determined by the Board at an appropriate time in consultations with the Merchant Banker(s)/ Consultants appointed

and/or to be appointed by the Bank in relation to such issue and on such terms and conditions as may be finalized by the Board/ Committee/ authorized Executives and that the Board/ Committee/ authorised Executives may finalize all matters incidental thereto as it may in its absolute discretion think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board of Directors be and is hereby authorised to decide the price(s) of the issue(s) in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise, the terms and conditions of the issue(s) as the Board may in its absolute discretion decide in accordance with such laws, rules, regulations including SEBI ICDR Regulations 2009, guidelines, notifications, directions as may be applicable."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

a. The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations 2009, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
b. The Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of SEBI ICDR Regulations 2009 authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price determined in accordance with the SEBI ICDR Regulations 2009.
c. The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations 2009."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board of Directors be and is hereby authorised to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/ SEBI/ Stock Exchanges or such other appropriate authorities at the time of granting their approvals, consents, permissions and sanctions to the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT, the issue and allotment of new equity shares / preference shares/ securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT, the fresh equity shares to be issued be subject to the United Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2010 as amended and shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank in all respects including dividend, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc. with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/ preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like."

"RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to the above, the Board in its absolute discretion, whether or not in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, disposing off the unsubscribed shares/ securities in an issue as permissible under applicable laws, rules & regulations, as the Board may deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/securities, the Board, be and is hereby authorized to determine in its absolute discretion the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as the Board may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions as the Board may in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution be exercised by the Board of Directors."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to a duly constituted Committee or Managing Director & CEO or the Executive Directors or Executive(s) for giving effect to this aforesaid Resolutions."

By order of the Board of Directors

Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary

Date: May 17th, 2016
Place: Kolkata

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

Pursuant to Regulation 62 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, a shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself, and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

In terms of Regulation 62(ii) of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, the proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its **Share Department & Investor Grievances Cell**, Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, 4th Floor, Kolkata – 700001 not less than **four days** before the date of the meeting i.e. on or before the closing business hours of **Thursday, June 23rd, 2016.**

The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

In case an instrument of proxy is granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

The grantor of an instrument of proxy under Regulation 62(vi) of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010 shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

No person shall be appointed a Proxy who is an employee of United Bank of India.

2. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVES

Pursuant to Regulation 61 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, a shareholder, being the Central Government or Company, may by resolution, as the case may be authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he was an individual shareholder of the Bank.

The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government or the Company.

In terms of Regulation 61(ii) of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, no person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a Company unless a copy of the resolution appointing him as such certified to be a true copy by the Chairman of the Meeting at which it was passed, is deposited to the Bank at its **Share Department & Investor Grievances Cell**, Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, 4th Floor, Kolkata

– 700001 not less than **four days** before the date of the meeting i.e. on or before the closing business hours of **Thursday, June 23rd, 2016**.

3. ATTENDANCE SLIP-CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry-pass is annexed to the Notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/Authorised Representatives of shareholders should state on their attendance slip-cum-entry pass as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

Pursuant to the provisions of Regulation 12 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010 the Register of Shareholders and the Transfer Books of the Bank will remain close from, **Monday June 20th, 2016 to Tuesday June 28th, 2016 (both days inclusive)** in connection with the Annual General Meeting of the Bank.

5. REQUESTS TO THE SHAREHOLDERS

5.1. Copies of Balance Sheet

Shareholders are advised that the copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting hence the shareholders are requested to carry their copies of the Annual Report which are mailed to the Registered Addresses of / Emailed to the shareholders.

5.2. Dematerialization of Shares

Shareholders who are holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialized.

5.3. Information on Accounts

Shareholders seeking information/ clarification with regard to accounts are requested to write to the Bank at least four days prior to the Annual General Meeting so as to enable the Bank to keep the information ready.

5.4. Consolidation of Folios

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., for consolidation into a single folio.

5.5. Notifying Change of Address

Shareholders are requested to notify any change in their address or bank account details to –

a. Respective Depository Participants in respect of the shares held in electronic forms;

b. The Registrar & Share Transfer Agent in respect of shares held in physical form at the following address –

Link Intime India Pvt. Ltd.
(Unit: United Bank of India),
59C, Chowringhee Road, 3rd floor,
Kolkata – 700020

5.6. Recording of Change of Status

Non Resident shareholders are requested to inform the Registrar & Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. immediately upon change in –

a. their Residential Status on return to India.

b. particulars of Bank Account in India with complete name, branch, account type, account no., MICR code, IFS code, address of the Bank with PIN, if not submitted earlier.

6. COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALISED (DEMAT) FORM

Bank's shares had been allotted and are compulsorily traded on the Stock Exchanges in dematerialized form only.

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer Company for dematerialization of Bank's shares.

Request for dematerialization may be sent through respective depository participants to the Bank's Registrars and Share Transfer Agent i.e. **M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.**

7. UNCLAIMED SHARES

The details of unclaimed shares are as under:

As on 01.04.15	Shares claimed during the Year	Balance in Suspense Account as on 31.03.16
6407	Nil	6407

The voting rights in respect of the unclaimed/outstanding shares shall remain frozen till claimed by the rightful owners.

The Bank has uploaded the details of unclaimed shares on the website for ready reference of the shareholders..

8. SHAREHOLDERS' QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank. Queries may be sent to the–

Share Department & Investors Grievance Cell,
United Bank of India,
Head Office, 4th floor,
11, Hementa Basu Sarani,
Kolkata 700001

or emailed to **investors@unitedbank.co.in**

9. Voting Rights

Pursuant to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all shareholders of the Bank.

10. E-Voting:

The Bank is pleased to provide E-voting facility as per Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for all shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice of the 7th Annual General Meeting dated May 17th, 2016. The Bank has appointed M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

E-voting is optional. In addition to e-voting the shareholders shall have the option of voting through ballot/polling papers at the venue of the meeting. Shareholders who have cast their votes by electronic means may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their votes.

The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned in respect the equity shares held by them as on Tuesday, June 21st, 2016 (the Cut-off Date).

The voting period shall begin at 10.00 hrs. (IST) on Saturday, June 25th, 2016 and end at 17.00 hrs. (IST) on Monday, June 27th, 2016. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com during the voting period

(i) Click on **"Shareholders"** tab.

(ii) Now Enter your **User ID**
 a. For CDSL: **16 digits beneficiary ID,**
 b. For NSDL: **8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,**
 c. Members holding shares in Physical Form should enter **Folio Number registered with the Bank.**

(iii) Next Enter the **Image Verification** as displayed and Click on **Login.**

If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(iv) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric **PAN** issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as shareholders having physical holding) • Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the **first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field.** • **In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters.** Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
DOB	Enter the **Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records** for the said demat account or folio in **dd/mm/yyyy** format.
Dividend Bank Details	Enter the **Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank records** for the said demat account or folio. • Please enter the **DOB or Dividend Bank Details in order to login.** If the details are not recorded with the depository or the Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (ii).

(v) After entering these details appropriately, click on **"SUBMIT"** tab.

(vi) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is also to be used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(vii) For Member holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(viii) Click on the **EVSN** for **United Bank of India** on which you choose to vote.

(ix) On the voting page, you will see **"RESOLUTION DESCRIPTION"** and against the same the option **"YES/NO"** for voting. Select the option YES or NO as desired. The option **YES** implies that you assent to the Resolution and option **NO** implies that you dissent to the Resolution.

(x) Click on the **"RESOLUTIONS FILE LINK"** if you wish to view the entire Resolution details.

(xi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on **"SUBMIT"**. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on **"OK"**, else to change your vote, click on **"CANCEL"** and accordingly modify your vote.

(xii) Once you **"CONFIRM"** your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xiii) You can also take out print of the voting done by you by clicking on **"Click here to print"** option on the Voting page.

(xiv) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xv) **Note for Institutional Shareholders**
Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to https://www.evotingindia.com and register themselves as Corporate.

A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

After receiving the login details they have to create a compliance user using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.

The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.

A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

In case you have queries or issues regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available on www.evotingindia.com under "HELP" section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

11. VOTING PROCESS AT THE AGM

The voting on the agenda item shall be done by Remote e-voting as well as by Voting at the venue of the meeting. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate and vote in the Voting to be conducted at the venue of the AGM on the date of the meeting. Ballot Papers will be issued immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting. Voting Papers shall be issued at the Venue to the Shareholders/ Proxy holders/ Authorized Representatives. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date i.e. Tuesday, June 21st, 2016.

12. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND VOTING

The consolidated result of remote e-Voting and Voting at the venue of the Meeting shall be announced within 48 hours of the conclusion of the meeting by hosting the same on the websites of the Bank and CDSL and disseminating the same to Stock Exchanges on which the Bank's shares are listed.

13. SCRUTINIZERS AT POLL

M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of the agenda items at the Voting to be conducted at the Meeting.

14. Explanatory Statement Setting Out Material Facts

14.1 Agenda Item No.2

a) The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is Rs.3000cr. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 31st March 2016 was Rs.839.52 cr. which was increased to Rs.1071.96 cr. on May 4th, 2016 pursuant to Preferential Allotment of 23.24 crore shares to the Central Government.

b) Under BASEL-III norms, the Bank is required to maintain the following Capital Adequacy Ratios as on March 31, 2016 –

Core Equity	5.5%
Capital Conservation Buffer (CCB)	0.625%
Total Tier I	7.0%
Total Tier I +CCB	7.625%
Total (CRAR)	9.0%
Total CRAR+CCB	9.625%

c) Presently, the shareholding of Government of India in the Bank is Rs.920.88cr. constituting 85.906% of the total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2016 was as under.

Particulars (As on 31.03.16)	Amount Rs. in cr.	% of capital funds to risk weighted asset (under BASEL III) (%)
Risk Weighted Assets	73079.45	
Tier-I Capital	5796.92	7.93
Tier-II Capital	1572.54	2.15
Total Capital	7369.46	10.08

d) The Bank is targeting to grow its business – both on asset and liability side to get closer to the milestone of Rs.200,000cr. total business by 31.03.2017.

e) To support the projected business growth and at the same time maintain healthy CRAR the Bank may require to raise additional capital from the market.

f) As per amended Securities Contract Regulations Rules 1957, the Bank has to ensure at least 25% public shareholding (non-promoter shareholding) by August 2017. At present, the public shareholding in the Bank is 14.094%.

g) In order to ensure regulatory compliances and to meet the requirement of additional capital funds for expanding and achieving the targeted business growth and for general lending purposes the Bank proposes to issue equity shares of Rs.10/- each at such price as may be determined close to the issue, by way of Follow-on Public Offer or Rights Issue or Qualified Institutional Placement(s), or such other suitable means under SEBI ICDR Regulations 2009 and as mentioned in the SEBI Circular dated November 30, 2015.

h) In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutional Placements, it will be ensured that:

i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would, pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations 2009, and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or duly authorised committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval in terms of Section 81(1A) and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;

ii. As the pricing of the offer cannot be decided except at a ***later*** stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations 2009, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Bank's (Shares and Meetings) Regulations, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/ consents as may be applicable or required.

iii. The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations 2009 and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above Resolution;

iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.

v. The total amount raised in such manner, including the overallotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited balance sheet of the previous financial year;

vi. The Securities shall not be eligible to be transferred/sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) Regulations 2009.

vii. The equity shares allotted, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested to the above proposal.

The Board of Directors recommends passing the Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

For UNITED BANK OF INDIA

Place: Kolkata
Dated: May 17th, 2016

Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary

सुपुर्द न होने के मामले में कृपया निम्नलिखित पते पर लौटाएँ

मेसर्स. लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट : युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

59-सी, चौरंगी रोड, कोलकाता - 700020

If undelivered please return to:

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.

(Unit: United Bank of India)

59C, Chowringhee Road,Kolkata - 700020

florenceoffset@yahoo.co.in

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया /United Bank of India

प्रधान कार्यालय/Head Office: 11, **हेमंत बसु सरणी कोलकाता** -700001/ 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001.

प्रॉक्सी फार्म (फार्म-बी)/PROXY FORM (FORM 'B')

(शेयरधारक द्वारा भरा जाना और हस्ताक्षिरत किया जाना है/ To be filled in and signed by the Shareholder)

पंजीकृत फोलियो / डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी / Redg. Folio/ DP ID/ Client ID	

मैं/हम/I/We_____ निवासी / resident(s) of _____ जिला/ in the district of_____ राज्य/ in the state of_____ युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक होने की हैसियत से एतारा श्री/श्रीमती/ being a shareholder / shareholder(s) of United Bank of India, Kolkata hereby appoint Shri/Smt._____ निवासी/resident of _____ _____ जिला/in the district of _____ राज्य/ in the state of _____ या उनके नहीं आने पर श्री/श्रीमती/ or failing him / her, Shri/ Smt. _____ निवासी/resident of_____ _____ ___ जिला/ in the district of _____ राज्य/in the state of_____ को अपने/हमारे प्रतिनिधि के रूप में दिनांक 28 जून 2016, मंगलवार को पूर्वाह्न 10.00 भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वेलवेड्रे रोड, अलीपुर, कोलकाता-700027 एवं किसी स्थगन की स्थिति में, बैंक शेयरधारकों की होनेवाली 7वीं वार्षिक आम सभा में मेरे/ हमारे बदले मतदान देने हेतु नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं । /as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the 7th Annual General Meeting of the shareholders of United Bank of India to be held on Tuesday, June 28th, 2016 at 10.00 a.m. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027 and at any adjournment thereof.

दिनांक_____2016 को इस पर हस्ताक्षर किया / Signed this _____ day of _____ 2016.

रसीदी टिकट चिपकाएं Please Affix Revenue Stamp

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर / Signature of Proxy

नामित/एकमात्र ोयरधारक / Signature of First named/ Sole Shareholder

पता/Name :

पता/Address :

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश / INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. कोई भी लिखत प्रॉक्सी तभी मान्य होगा जब-
 क) एक व्यक्ति के शेयरधारक के मामले में, उसके द्वारा हस्ताक्षिरत/उसे या उसकी/उसके वकील द्वारा लेखन में विधिवत रूप से अधिकृत किया गया हो
 ख) संयुक्त धारकों के मामले में, शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर रजिस्टर में पहले या उसकी/उसके वकील का जो विधिवत लिखित रूप में अधिकृत है,
 ग) एक निगमित निकाय के मामले में विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या एक वकील द्वारा हस्ताक्षर किए गए जो लेखन में विधिवत रूप से अधिकृत है । यह नोट करना कि नियुक्त करने का संकल्प का उल्लेख किसी अधिकृत प्रतिनिधि को किया जाना बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि होने के लिए प्रमाणित एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए/शक्ति के रूप में उसे/संलग्न कर रहा है।

 No instrument of proxy shall be valid unless
 a) In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 b) In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 c) In the case of a body corporate signed by the duly authorized representative or a attorney duly authorised in writing. It is to be noted that the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the chairman of the meeting is to be attached.
2. प्रॉक्सी का लिखत पर्याप्त रूप से शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षिरत हो यदि जो किसी कारणवा अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उसकी/उसके द्वारा लगे अंगूठे का निशान एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार आश्वासनों द्वारा या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो।

 An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of United Bank of India.
3. प्रॉक्सी के साथ
 क) पॉवर ऑफ एटॉर्नी या प्राधिकारी (यदि कोई हो) अन्य प्राधिकरण जिसके तहत यह हस्ताक्षर किया गया है, या
 ख) पॉवर ऑफ एटॉर्नी या प्राधिकारी का नोटरी पब्लिक या एक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित की एक प्रति, शेयर विभाग व निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता 700001 को 7वीं वार्षिक आम सभा की तारीख से चार दिन पहले या 23 जून, 2016 वृहस्पतिवार को बैंक के कार्यकाल की समाप्ति से पहले (सांय 5 बजे) जमा किया जाना चाहिए।

 The proxy together with
 a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of United Bank of India with the Share Department & Investors Grievance Cell at 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001 not less than FOUR DAYS before the date of the 7th Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank (5 p.m.) on Thursday, 23rd June 2016.
4. कोई लिखत प्रॉक्सी और प्रपत्र "बी" विनियमन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि इस पर विधिवत मुहर न लगी हो ।
 No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form "B" of the Regulation.
5. बैंक के पास जमा लिखत प्रॉक्सी अविकल्पी और अंतिम होगा। An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. दो वैकल्पिक के पक्ष में दी गई लिखत प्रॉक्सी के मामले में, एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
 In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. जो शेयर धारक प्रॉक्सी लिखत को निष्पादित करते है वो वार्षिक आम बैठक में मतदान देने के हकदार नहीं होगा।
 The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. किसी भी व्यक्ति को विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का एक अधिकारी या एक कर्मचारी हो।
 No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of United Bank of India.

05/16

BNPL-CCU-001-281

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/United Bank of India

प्रधान कार्यालय /Head Office: 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700001/ 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001.

मंगलवार, 28 जून, 2016/ Tuesday, 28th June 2016. समय: पूर्वाह्न 10.00 बजे/Time: 10.00 a.m.	7वीं वार्षिक आम सभा/ 7th Annual General Meeting	भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वेलवेड्रे रोड, अलीपुर, कोलकाता-70027 Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027

ईवीएसएन/EVSN	यूजर आईडी/User ID	सीक्वेंस सं/Sequence No.	दीन/माह/वर्ष में डिफल्ट जन्मतिथि (जहां जन्मतिथि पंजीकृत नहीं है)/Default DOB in dd/mm/yy (Where DOB not registered) लाभांश बैंक ब्योरा/Dividend Bank Details
160527001			

ई-मतदान शनिवार, 25 जून 2016 को 10.00 बजे शुरु होगा और सोमवार, 27 जून 2016 को 17.00 बजे खतम होगा/
Evoting begins on Saturday, June 25th, 2016 at 10.00 hrs. (IST) Evoting ends on Monday, June 27th, 2016 at 17.00 hrs. (IST)

ई-मतदान ब्योरा के लिए एजीम नोटिस की बिन्दु सं 10 देखें / Please refer to point no. 10 in the AGM Notice for details on e-voting

प्रवेश पत्र /ENTRY PASS

उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का हस्ताक्षर Signature of the Shareholder/Proxy/Representative			
रजिस्टर फोलियो नंबर **Regd. Folio/**		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी / **DP ID & Client ID**	
शेयरधारक का नाम / Name of the Shareholder			
शेयरों की संख्या / Number of Shares			

शेयरधारक/ प्रॉक्सी अथवा शेयरधारकों के अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त उपस्थिति पर्ची, बैंक में अभिलिखित अपने नमूना हस्ताक्षर सहित प्रवेश-पत्र के साथ बैंक स्थल पर उपस्थित हों । फिर भी, आवश्श्यक होने पर प्रवेश सत्यापन/ जांच के अध्याधीन होगा । किसी भी परिस्थिति में उपस्थिति पर्ची की डुप्लिकेट प्रति प्रवेश हेतु बैंक द्वारा जारी नहीं की जाएगी । / Shareholders/ proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/United Bank of India

प्रधान कार्यालय /Head Office: 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700001/ 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001.

उपस्थिति पर्ची/ATTENDANCE SLIP

(बैठक में प्रवेश करते समय इसे जमा किया जाए/To be surrendered at the time of Entry to the Venue)

मैं एतद्द्वार बैंक के 7वीं वार्षिक आम सभा में उपस्थिति दर्ज करता हूं / I hereby record my presence at the 7th Annual General Meeting of the Bank.

उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का हस्ताक्षर Signature of the Shareholder/Proxy/Representative			
रजिस्टर फोलियो नंबर **Regd. Folio/**		डीपी आईडी और ग्राहक आईडी / **DP ID & Client ID**	
शेयरधारक का नाम / Name of the Shareholder			
शेयरों की संख्या / Number of Shares			